न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
वाद संख्या :87 / 2018
निर्णय दिनांक : 27/10/2021

निर्णय

1. हीरालाल सैनी पुत्र स्व0 श्री कल्याण सहाय सैनी जाति निवासी जैन नसिया रोड वार्ड नम्बर 36 सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड कानोता रेलवे स्टेशन सदर थाना एस0पी0ग्रामीण ऑफिस के उपर मुख्यालय जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि

वादी के कब्जे काश्त की बुजुर्गो के जमाने की पैतृक आराजी कृषि भूमि साबिका खसरा नम्बर 917 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित थी जो महकमा इन्जिनियरिंग सिंचाई विभाग के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है, जिसके खसरा नम्बर 1178 रकबा 15 बिस्वा बने जो वादी के पिता के हाली जगन्नाथ पुत्र रोडू माली के नाम से खसरा गिरदावरी संवत् 2009 से 2012 में कब्जा काश्त था और राजस्व रिकॉर्ड में गैर–मुमकिन बगीची दर्ज थी उक्त साबिका खसरा नम्बर 1178 रकबा 15 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 4708 रकबा 0.19 हैक्टेयर बने जो गैर–मुमकिन दर्ज है। उक्त आराजी कृषि भूमि पर वादी का बुजुर्गो के समय से कब्जा काश्त रहा है तथा उक्त भूमि पर पूर्व में वादी के पूर्वाधिकारी स्वर्गीय चौखा काबिज काश्त रहे है तथा उसके पश्चात् चौखा के एक पुत्र बिरधा हुआ तथा बिरधा के एक पुत्र मोहरू हुआ तथा मोहरू के एक पुत्र कल्याण सहाय हुआ जो वादी के पिता थे जिसका देहान्त 1991 में हो चुका है उक्त भूमि पर 100 वर्ष से अधिक समय से वादी व वादी के पूर्वाधिकारी का कब्जा काश्त रहा है तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि वादी के कब्जे काश्त में रही है उक्त भूमि की किस्म गैर–मुमकिन बगीची थी जो वादी के पूर्वाधिकारियों द्वारा पेड–पौधे लगाकर विकसित की गई थी जो कालान्तर में पेड–पौधे सुख जाने के कारण उक्त भूमि की किस्म बंजड व उसके बाद वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में गैर–मुमकिन अंकित है, उक्त भूमि पर कभी प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त नही रहा है तथा ना ही उक्त भूमि नाले के भराव क्षेत्र में रही है इस कारण उक्त भूमि का प्रतिवादी संख्या एक अर्सेदराज से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है परन्तु राजस्व विभाग की गलती से उक्त भूमि प्रतिवादी [illegible] रिकॉर्ड में अंकित हो गई। उक्त आराजीयात के खसरा नम्बर 4708 रकबा [illegible] हैक्टेयर पर कालान्तर में कृषि काश्त करना सम्भव नही रहा इस कारण वादी के पिता [illegible] द्वारा उक्त भूमि पर अपने समय काल में किये गये [illegible] बंटवारे में वादी [illegible] पुत्र राजेन्द्र सैनी को दे दी गई जिस पर राजेन्द्र सैनी [illegible] उक्त भूमि पर बने हुए [illegible] व दुकानात पर सपरिवार निवास करते हुए कृषि काश्त करने लगा तथा उक्त भूमि को अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। वादी के पुत्र राजेन्द्र सैनी ने एक स्थाई निषेधाज्ञा का

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:46:21 IST
Reason: SelfAttested

वाद उनवानी राजेन्द्र बनाम राजस्थान सरकार न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 19 जयपुर महानगर सांगानेर के यहां पर प्रस्तुत किया जिसमें वादी के पुत्र का उक्त वर्णित आराजीयात पर असैंदराज से कब्जा स्वीकार किया है उक्त वर्णित वाद में श्रीमान न्यायालय द्वारा मगाई गई कमिश्नर रिपोर्ट में भी उक्त भूमि पर वादी के पुत्र राजेन्द्र सैनी का पुराना कब्जा माना है, खसरा गिरदावरी व पटवारी रिपोर्ट में भी वादी के पूर्वजों के जमाने का कब्जा काश्त माना है। तथा वर्तमान में भी वादी के पुत्र राजेन्द्र का कब्जा काश्त है। परन्तु उक्त वाद पत्र को मान्य न्यायालय ने खारिज कर दिया। परन्तु उक्त भूमि असैंदराज से वादी का कब्जा होने के कारण वादी उक्त भूमि का एक मात्र मालिक व स्वामी है और भूमि को अपने नाम से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने व राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या एक का नाम हटवाकर अपने नाम से दुरूस्ती करवाने का कानूनी अधिकारी है। उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या एक के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने के कारण तथा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में विचाराधीन वाद जो वादी के पुत्र राजेन्द्र सैनी के द्वारा पेश किया गया था दिनांक 25.05.2018 को खारिज हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या एक ने दिनांक 11.06.2018 को उक्त आराजीयात पर असैंदराज से वादी के कब्जा काश्त को हटाने के लिए नोटिस वादी के पुत्र को दिया, तथा मौके पर आकर वादी के सामने प्रतिवादी संख्या एक ने वादी के पुत्र को धमकी दी कि उक्त आराजीयात से कब्जा हटा ले वरना इसको ध्वस्त कर दूंगा इस कारण वादी को यह वाद वास्ते घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ। वादी एक गरीब व्यक्ति है तथा विवादित आराजीयात पर वादी व उसके बुर्जुगान का असैंदराज से कब्जा रहा है तथा मौके पर आज भी कब्जा काश्त है। अगर प्रतिवादी संख्या एक गैर कानूनी रूप से वादी व उसके परिवार को विवादित आराजीयात से बेदखल कर देते है तो वादी को अकथनीय हानि होगी तथा दर दर की ठोकरे खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वादी घोषणा करवाने का अधिकारी है कि हाल खसरा नम्बर 4708 रकबा 0.19 हैक्टयर वाके ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए प्रतिवादी संख्या एक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हटाकर वादी को नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें और उसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादी संख्या एक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त वर्णित खसरा नम्बर पर वादी के कब्जे काश्त व निर्माण में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नही करे और न ही किसी प्रकार की तोडफोड करे, ऐसा न स्वयं करें, न ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, ठेकेदार इत्यादि से करवाये तथा वादी व उसके परिवार के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे। वादकारण दिनांक 11.06.2018 को जब प्रतिवादी संख्या एक ने उक्त आराजीयात पर असैंदराज से वादी के कब्जा काश्त को हटाने के लिए नोटिस वादी के पुत्र को दिया, तथा मौके पर आकर वादी के सामने प्रतिवादी संख्या एक ने वादी के पुत्र को धमकी दी कि उक्त आराजीयात से कब्जा हटा ले वरना मकानात व दुकानात को ध्वस्त कर दूंगा से शुरू होकर निरन्तर जारी है। वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे हाल खसरा नम्बर 4708 रकबा 0.19 हैक्टयर वाके ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए प्रतिवादी संख्या एक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हटाकर वादी को नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें और उसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे प्रतिवादी संख्या एक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त वर्णित खसरा नम्बर पर वादी के कब्जे काश्त व निर्माण में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नही करे और न ही किसी प्रकार की तोडफोड करे, ऐसा न स्वयं करें, न ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, ठेकेदार इत्यादि से करवाये तथा वादी व उसके परिवार के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:46:21 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(सांगानेर)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक की ओर से श्रीमति निर्मला माथूर एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत कर वादी के वाद का जवाब पेश करते हुए कथन किया गया कि वाद पत्र की मद संख्या एक जिस प्रकार लिखा गया है इस स्पष्टीकरण के साथ अस्वीकार है कि वादी ने उक्त मद में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया, जिससे यह साबित हो कि आराजीयात खसरा नम्बर 4708 के पुराने खसरा नम्बर 1178 थे, और इससे पहले के खसरा नम्बर वादी या उसके पूर्व पुरूष के नाम बतौर खातेदारी दर्ज थी, अनावश्यक एवं काल्पनिक बातों से कोई तथ्य साबित/सिद्ध नही हो जाते, वादग्रस्त भूमि/क्षेत्र आज भी महकमा सिंचाई विभाग दर्जशुदा है और स्वामित्व भी पूर्व से ही सिंचाई विभाग का चला आ रहा है। वाद पत्र का मद संख्या दो जिस प्रकार से लिखा गया है, पूर्णतया अस्वीकार है, वादी ने ऐसा कोई रिकॉर्ड (चैन डॉक्यूमेन्ट की तरह) पेश किया, जो वादी के उक्त मद में दिए गए तथ्यों की ताईद करता हो, वादी का यह कथन कि – उक्त भूमि की किस्म गैर मुनकिन बगीची थी पूर्णतया अस्वीकार है, उक्त भूमि की किस्म गैर मुनकिन बगीची कब थी ? किस सम्वत् में थी ? वह कौनसा दस्तावेज है जिसमें उक्त खसरा नम्बर 4708 की भूमि पूर्व में गैर मुमकिन बगीची दर्शाई गई ? ऐसा कोई रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नही है, अन्यथा वादी सन्, संवत् खसरा नम्बर अवश्य लिखकर आता। तहसीलदार तहसील–सांगानेर, जयपुर के पत्र क्रमांक 2010/110, दिनांक 22.03.2010 में स्पष्ट उल्लेख है कि विवादित स्थल मौके अनुसार खसरा नम्बर 4708 रकबा 0.19 हैक्टेयर की खातेदारी महकमा सिंचाई विभाग खातेदार के नाम दर्ज है। जमाबन्दी एवं नकल ट्रेस संलग्न है। वाद पत्र कामद संख्या तीन इस स्पष्टीकरण के साथ अस्वीकार है कि वादी के पूर्वजों द्वारा कौनसी भूमि का बंटवारा किया गया ? किस भूमि पर काश्त की गई, या नही की गई ? यह वाद की विषयवस्तु नही है, जहां तक वादग्रस्त क्षेत्र/भूमि का संबंध है, उक्त भूमि महकमा इंजिनियरिंग सिंचाई विभाग भूमि है , जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 4708 रकबा 0.19 हैक्टेयर है, जहां तक वादी के पुत्र राजेन्द्र सैनी द्वारा निर्माण करने का प्रश्न है, उसमें उक्मत निर्माण स्वयं की दावे दायरी के पश्चात किया है, जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है और उस भूमि पर काश्त करता हो, ऐसा कोई रिकार्ड अपने पूर्व वाद न्यायालय ए.डी.जे.–19 के समक्ष पेश नही किया। मान्य अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 19 जयपुर महानगर सांगानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2018 का अवलोकन फरमाए जाने योग्य है। वादी ने उक्त मद में कथन किया कि– वादी ने अपने पुत्र राजेन्द्र सैनी को पारिवारिक बंटवारे में दे दी। यदि वादी के पुत्र राजेन्द्र सैनी के द्वारा पूर्व में किए गए दावे का अवलोकन किया जाए तो स्पष्ट होगा कि ऐसे किसी भी तथ्य का उल्लेख राजेन्द्र सैनी ने अपने दावे में नही किया। मान्य न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से वादी ने ऐसे तथ्य दिए है, जबकि पूर्व वाद में राजेन्द्र सैनी ने प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में अपने पिता हीरालाल सैनी (वादी) को पक्षकार दावा बनाया था, जिसमें राजेन्द्र सैनी ने अपने पिता वादी हीरालाल सैनी के खिलाफ भी तथ्य उल्लेखित किए है, उन पर जबरन बेदखल करने का आरोप भी लगाया अर्थात सांठ–गांठ, मिलिभगतपूर्वक सुनियोजित योजना से पूर्व में दा[illegible] के पुत्र ने किया था, परन्तु पूर्व दावें में सफलता नही मिलने पर [illegible] दावा कर दिया, जो कतई पोषनीय नही है। वाद पत्र [illegible] स्पष्टीकरण के साथ जवाबदेय है कि वादी के पुत्र ने एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा का राजेन्द्र सैनी बनाम राज. सरकार वादी हीरालाल सैनी को प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में पक्षकार बनाते हुए पेश किया [illegible] दिनांक 25.05.2018 को गुणावगुणों पर खारिज फरमा दिया गया, उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 6 हीरालाल सैनी ने अपने पुत्र का उक्त आराजीयात पर अर्से–दराज से कब्जा स्वीकार किया था और उक्त कब्जे को स्वीकार करने के सिवाय वादी हीरालाल सैनी के पास ओर कोई विकल्प भी नही था क्योंकि उस दावें का एकमात्र उद्देश्य यह था कि पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:46:21 IST
Reason: SelfAttested

राजेन्द्र सैनी दावा लाए और अपने पिता हीरालाल सैनी को प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में पक्षकार बनाए ताकि राजेन्द्र सैनी को अपने वाद में पिता हीरालाल सैनी से सहायता प्राप्त हो सके और राजेन्द्र सैनी द्वारा दावें या साक्ष्य में कोई कमी रह जाए तो उसकी भरपाई पिता हीरालाल सैनी द्वारा की जा सके इस प्रकार पूर्व में राजेन्द्र सैनी द्वारा दावा पिता–पुत्र ने सांठ–गांठ कर कॉल्यूजनपूर्वक पेश किया, भले ही राजेन्द्र सैनी अपने पिता हीरालाल सैनी के खिलाफ उस दावें में तथ्य दिए हो, पर उनके मध्य दूरभि संधि/मिलिभगत को माननीय न्यायालय ए.डी.जे.–19 सांगानेर, जयपुर ने अपने गहन चक्षु से भाप ही लिया और प्रतिवादी संख्या 6 हीरालाल सैनी का चरित्र वादी राजेन्द्र सैनी का ही है, ठोस मत में माना। मान्य न्यायालय को स्पष्ट करना उचित होगा कि कानून की नजरों में कब्जा दो प्रकार का होता है वैध और अवैध। अवैध कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है और अतिक्रमण करने वाला अतिक्रमी होता है, वादी के पुत्र राजेन्द्र सैनी का उक्त भूमि पर कोई पुराना कब्जा नही है, उसने तो दावा दायरी के पश्चात् अतिक्रमण करने के उद्देश्य से निर्माण कराया है, पूर्व में किसी भी प्रकार का निर्माण नही था, जमीन खाली थी। इसी प्रकार वादी मान्य न्यायालय से कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वाद पत्र का मद संख्या पांच जिस प्रकार से लिखा गया है इस स्पष्टीकरण के साथ जवाबदेय है कि वादी स्वयं यह स्वीकार करता है कि उसके पुत्र का दावा माननीय ए.डी.जे.–19 जयपुर सांगानेर द्वारा दिनांक 25.05.2018 को खारिज फरमा दिया गया, उसी आदेश/निर्णय के क्रम में सिंचाई विभाग द्वारा वादी के पुत्र राजेन्द्र सैनी को एक नोटिस क्रमांक 332 दिनांक 11.06.2018 को दिया गया जिसको आधार बनाकर वादी हीरालाल सैनी ने मान्य न्यायालय के समक्ष दावा कर दिया। मान्य न्यायालय को स्पष्ट करना उचित होगा कि यदि खारिजी दावे के क्रम में विधिक कार्यवाही के मद्देनजर कोई नोटिस जारी किया जाता है तो उसका आधार बनाकर दावा पेश नही किया जा सकता और ना ही उसे वादकारण उत्पन्न होने का आधार बनाया जा सकता है। चुंकि राजेन्द्र सैनी का दावा खारिज किया गया और नोटिस राजेन्द्र सैनी को दिया गया, जिसे वादी हीरालाल सैनी स्वीकार करता है जबकि दावा उक्त भूमि के संबंध में वादी हीरालाल सैनी लाया है, तो पिता पुत्र के मध्य कॉल्यूजन की स्थिति स्वयमेव में स्पष्ट हो जाती है। उक्त मद में वादी यह कथन करता है कि– वादी के सामने वादी के पुत्र को प्रतिवादी संख्या एक ने धमकी दी पूर्णतया गलत एवं निराधार आरोप है। जहां नोटिस जारी कर दिया जाता है वहां धमकी दिए जाने की कोई आवश्यकता ही उत्पन्न नही होती और कोई भी विभाग का अधिकारी किसी की धमकी नही देता। वादी ने ऐसे तथ्य तो केवल अपने दावे को बल देने के लिए उल्लेखित किए है, यदि ऐसे काल्पनिक तथ्यों का उल्लेख वादी नही करेगा तो मान्य न्यायालय उसे स्टे कैसे देगें ? ऐसी सोच वादी की अवश्य रही होगी तभी उसने धमकी जैसे आरोप प्रतिवादी संख्या एक पर लगाते हुए अपने दावे में उल्लेख किया है। वादी ने उक्त दावा अनावश्यक रूप से किया है जो कतई पोषनीय नही है। वाद पत्र का मद संख्या छः जिस प्रकार से सहानुभूति की कामना करते/दर्शाते हुए उल्लेखित किया गया है, पूर्णतया स्वीकार है, वादी की स्थिति मात्र एक अतिक्रमी की है और एक अतिक्रमी को कानून में कोई संरक्षण प्राप्त नही है, कानून में गरीब और अमीर व्यक्ति का [illegible] महत्व नही होता, कानून की नजरों में सभी व्यक्ति चाहे वे गरीब [illegible] लिए वादी स्वयं के गरीब होने की दुहाई देना बन्द करें क्योंकि ऐसे [illegible]भूतिपूर्वक तथ्यों से मान्य न्यायालय कोई रिलीफ प्रदान नही करते और ना ही मान्य न्यायालय से वादी कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि जब वादी व वादी के बुजुर्गानों की है ही नही तो उनके द्वारा कब्जा काश्त करने का प्रश्न ही नही उठता और ना ही वादी ने कब्जेकाश्त का कोई रिकार्ड पेश किया। मान्य न्यायालय ए.डी.जे.–19 सांगानेर द्वारा वादी के पुत्र का दावा खारिज होना और उक्त दावा खारिज होने के पश्चात वादी के पुत्र को सिंचाई विभाग द्वारा एक नोटिस अतिक्रमण हटाने बाबत देना कतई गैर कानूनी नही है। मान्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:46:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय को यह स्पष्ट करना उचित होगा कि क्या वादी के पुत्र ने पूर्व खारिज दावे के संबंध में ऐसा कोई स्टे या स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त किया है ? विचारणीय बिन्दू है। अतिक्रमी की कोई विधिक हैसियत नही होती, वादी के पुत्र का दावा उक्त भूमि के संबंध में खारिज किया जा चुका है, प्रतिवादी संख्या एक द्वारा राजेन्द्र सैनी को नोटिस दिया जा चुका है फिर भी वादी या वादी का पुत्र वादग्रस्त भूमि पर अपना अतिक्रमण हटाने एवं सिंचाई विभाग को कब्जा सुपुर्द करने के बजाय अनावश्यक दावा कर रहे है तो दर–दर की ठोकर खाने के सिवाय उनके पास कोई विकल्प भी नही है। इसके परिणामों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। वाद पत्र का मद संख्या सात जिस प्रकार से लिखा गया है पूर्णतया अस्वीकार है, वादी कोई रिलीफ मान्य न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नही है और ना ही मान्य न्यायालय वादी के एकमात्र कथनों पर विश्वास कर प्रतिवादी संख्या एक को अनावश्यक रूप से पाबन्द कर सकते है। वाद पत्र का मद संख्या आठ दिनांक 11.06.2018 को वादी के पुत्र को कब्जेकाश्त को हटाने का नोटिस देना स्वीकार है, शेष तथ्य पूर्णतया अस्वीकार है, वादी के पुत्र का दावा खारिज होने और उसे अतिक्रमण हटाने का नोटिस देने से प्रथम तो वादी को कोई वादकारण उत्पन्न नही होता और ना ही वादी के पुत्र को नोटिस देने से कभी वादकारण उत्पन्न होता है। विधिक कार्यवाही को अमल में लाना वादकारण उत्पन्न होने का आधार कतई नही हो सकता, इसलिए वादी को कोई वादकारण 11.06.2018 को प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध ना तो उत्पन्न हुआ और ना ही निरन्तर जारी है। वाद पत्र का मद संख्या नौ जिस प्रकार से प्रतिवादी संख्या दो को भूधारक मानते हुए घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है पूर्णतया अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या एक की भूमि है उक्त भूमि पर किसी भी दीगर व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नही है। वाद पत्र का मद संख्या दस में मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का उल्लेख किया गया है परन्तु मान्य न्यायालय को स्पष्ट करना उचित होगा कि जब एक दावा सक्षम न्यायालय द्वारा गुणावगुणों पर खारिज फरमा दिया गया तो उसके क्रम में जो विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई की आड में उक्त दावा वादी ने पेश किया है तो कानून की नजरों में ऐसे दावें सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मान्य न्यायालय प्राप्त नही है। अतः वादी का वाद मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या दो की ओर से वादी के वाद का जवाब पेश करते हुए कथन किया गया कि वाद पत्र का मद संख्या एक में वर्णित आराजी कृषि भूमि साबिका खसरा नम्बर 917 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मुताबिक राजस्व रिकार्ड के जगन्नाथ पुत्र रोडू माली सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी के खसरा नम्बर के नये नम्बर 1178 रकबा 15 बिस्वा बने एवं हाल खसरा नम्बर 4708 रकबा 0.19 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो महकमा सिंचाई विभाग की खातेदारी में दर्ज है। उक्त मद में खसरा गिरदावरी संवत 2009–10 में कब्जा काश्त जगन्नाथ पुत्र रोडू माली का व संवत 2011–12 में कब्जा काश्त [illegible] पुत्र जगन्नाथ माली का होना व उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर [illegible] दर्ज रिकार्ड है संवत 2020–21 में गिरदावरी में बंजड एवं संवत 2030–33 में [illegible] में पडत दर्ज है। वाद पत्र का मद संख्या दो में अंकित तथ्यों में वर्तमान में आराजी कृषि भूमि की किस्म गैर–मुमकिन राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उक्त मद में आराजी कृषि भूमि में महकमा सिंचाई विभाग काबिज काश्त न होकर वर्तमान में वादी काबिज काश्त है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म गैर–मुमकिन दर्ज रिकार्ड है। वाद पत्र का मद संख्या 3 लगायत 11 वादी स्वंय सिद्ध करे। अतः जवाब वाद पत्र श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:46:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में पक्षकारों के अभिवचानों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये।

(1) आया विवादित आराजीयात आराजी साबिका खसरा नम्बर 917 जिसके बने साबिका खसरा नम्बर 1178 रकबा 15 बिस्वा सम्वत 2009 2012 तक वादी के पिता का कब्जा रहा। उक्त साबिका खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर 4708 रकबा 0.19 हैक्टेयर बने, जिस पर वादी काबिज है।

वादी

(2) आया वादी का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त होने के कारण अपने नाम से घोषणा कराने का कानूनी अधिकारी है।

वादी

(3) आया वादी प्रतिवादीगण ता फैसला स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का कानूनन अधिकारी है।

वादी

(4) आया वादी विवादित भूमि खसरा नम्बर 4708 रकबा 0.19 हैक्टेयर महकमा इन्जिनियरिंग सिंचाई विभाग के नाम होने के कारण वादी का वाद चलने योग्य नही है, खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी

(5) अनुतोष

वादी की ओर से पी0डब्ल्यू0 1 हीरालाल सैनी, पी0डब्ल्यू0 2 योगेन्द्र कुमार व्यास के बयान करवाये गए तथा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न दस्तावेजो को प्रदर्शित करवाया।

1. प्रदर्श 1 प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी संवत 2009 से संवत 2012 खसरा नम्बर 917 ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. प्रदर्श 2 प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी बंदोबस्त संवत् 2015 से 2034 खसरा नम्बर 1178 रकबा 15 बिस्वा किस्म गैर–मुमकिन बगीची ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. प्रदर्श 3 प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल पुराने खसरा नम्बर 917 से बने साबिका खसरा नम्बर 1178, साबिका खसरा नम्बर 1178 से बने हाल खसरा नम्बर 4708 ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. प्रदर्श 4 असल पटवारी रिपोर्ट दिनांक 05.08.1983
5. प्रदर्श 5 प्रमाणित प्रतिलिपि कमिश्नर रिपोर्ट
6. प्रदर्श 6 प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 19 जयपुर महानगर सांगानेर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2018

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करने के पश्चात साक्ष्य के लिए मौका दिये जाने पर न तो प्रतिविादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। दिनांक 23.09.2021 को प्रतिवादी संख्या एक की ओर से न्यायालय के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ और ना ही उनकी ओर से उनके अ[illegible] उपस्थित आये जिस पर प्रतिवादी संख्या एक विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस अन्तिम सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन [illegible] प्रस्तुत तर्कों व साक्ष्य के परिपेक्ष्य में विचरित विवाद्यकों पर मेरा विनिश्चय इस प्रकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:46:21 IST
Reason: SelfAttested

विवाद्यक संख्या 1 व 4

यह कि विचार बिन्दू संख्या 1 व 4 आपस में संबंधित होने से न्यायालय द्वारा एक साथ विवेचन किया जा रहा है।

यह कि साबिका का खसरा नम्बर 917 हाल खसरा नम्बर 1178 व वर्तमान खसरा नम्बर 708 रकबा 9 हैक्टेयर पर वादी खातेदार है, और इस पर जो सिवाय चक का इन्द्राज हो

रहा है, व काबिले दुरूस्ती है। इस विचार बिन्दु का भार वादी पर है। इस संबंध में विद्वान वकील वादी का तर्क है कि वादी संवत 2012 से पूर्व से ही बहैसियत काश्तकार काबिज है और इस भूमि को भूमि काश्त करता चला आ रहा है। जहां तक कब्जे काश्त का प्रश्न है इसको प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी का कब्जा माना है। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा जवाब के अनुसार वाद में वर्णित आराजी कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 917 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर मुताबिक राजस्व रिकार्ड के जगन्नाथ पुत्र रोडू माली साकिन दे हके नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी के खसरा नम्बर नये खसरा नम्बर 1178 रकबा 15 बिस्वा बने एवं हाल खसरा नम्बर 4708 रकबा 0.19 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो महकमा सिंचाई विभाग की खातेदारी में दर्ज है। उक्त मद से खसरा गिरदावरी सम्वत 2009–10 में कब्जा काश्त जगन्नाथ पुत्र रोडू माली का व सम्वत 2011–12 में कब्जा काश्त भौरया पुत्र जगन्नाथ माली काक होना उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन बगीची दर्ज रिकार्ड में बंजड एवं सम्वत 2030–33 में गिरदावी में पडत दर्ज है। और वर्तमान में आराजी कृषि भूमि की किस्म गैर मुमकिन राजस्व रिकार्ड में अंकित है। और आराजी कृषि भूमि में महकमा सिंचाई विभाग काश्त न होकर वर्तमान में वादी काबिज काश्त है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्त गौर मुमकिन दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या एक ने वाद ग्रस्त आराजी भूमि को स्वयं के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होना और वादी के कब्जे को अतिक्रमण होना बताया है और उसने यह भी अंकित किया है कि वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है क्योंकि वादी के पुत्र ने पूर्व में एक सिविल दावा प्रस्तुत किया था जो न्यायालय ए डी जे 19 सांगानेर जिला जयपुर द्वारा खारिज किया गया है जिसके पश्चात वादी के पुत्र को प्रतिवादी संख्या एक द्वारा नोटिस पेश किया गया है और इसलिए उसका वाद चलने योग्य नहीं है।

वादी ने अपने तर्को के समर्थन में प्रदर्श दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–6 और मौखिक साक्ष्य को दोहराया है और वादी का कहना है कि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य अखंडनीय रही है जहां तक प्रतिवादी संख्या ए डी जे 19 सांगानेर, जयपुर महानगर जयपुर द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 25.05.2018 का प्रश्न है उक्त निर्णय की दीवानी प्रथम अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खण्ड पीठ में लम्बित है इसलिए उक्त निर्ण दिनांक 25.05.2018 से वाद के गुणावगुण पर कोई असर नहीं पडता है और उक्त निर्णय से वादी के अधिकारों पर कोई असर नहीं पडता है।

न्यायालय द्वारा वादी प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया दस्तावेजी साक्ष्य नकल पात चतुर्वषीय जमाबन्दी के अनुसार लेखन खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से सम्वत 2012 खसरा नम्बर 917 ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जयपुर प्रदर्श पी–1 में वादी का नाम हाली जगन्नाथ पुत्र रोडू माली का नाम दर्ज रिकार्ड है। जगन्नाथ पुत्र रोडू माली कल्याण सहाय के परिवार का ही सदस्य था, नकल खसरा गिरदावरी चतुर्वषीय खसरा नम्बर 1178 रकबा 15 बिस्वा बने, जो वादी के पिता के हाली जगन्नाथ पुत्र रोडू माली के नाम से खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 में कब्जा काश्त था प्रदर्श पी–2 राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन बगीची दर्ज थी। नकल भू– प्रबन्ध (सेटलमें[illegible]) राजस्थान राज्य खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर [illegible] सम्वत 2025 से 2034 के खसरा नम्बर 1178 रकबा 15 बिस्वा गैर मुमकिन बगीची [illegible] जामुन, आम, गुललर का लगा हुआ था जो कल्याण सहाय के हाली जगन्नाथ पुत्र रोडू माली हाली बतौर देखभाल करता था की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी–3 नकल मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 917 के 1178 व 1178 के हाल खसरा नम्बर 4708 बने है की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी–4 नकल रिपोर्ट पटवारी हल्का नम्बर 21 सांगानेर दिनांक 05.08.1989 को प्रस्तुत किये जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी–5, कमिशनर रिपोर्ट दिनांक 17.05.2019 जो कि दीवानी वाद राजेन्द्र बनाम राजस्थान वगैरह संख्या 15/09 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:46:21 IST
Reason: SelfAttested

पी–6 है। मौखिक साक्ष्य में हीरालाल सैनी पी– डब्लू–1 के रूप ने और योगेन्द्र व्यास पी डब्लू 2 के रूप में परिक्षित हुआ है जिनकी प्रतिपरीक्षा नहीं हुई और उनका साक्ष्य अखण्डनीय रहा है।

वादी ने तर्क प्रस्तुत करते हुए यह बहस की कि उसे अतिक्रमी के रूप में राजस्व विभाग से आज तक कोई अतिक्रमण का नोटिस नहीं दिया और ना ही उसे प्राप्त हुआ है। उसने यह भी वादी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15–ए के अनुसार भी वह वाद में वर्णित आराजी कृषि भूमि का एक मात्र खातेदार आसामी है और केवल मात्र राजस्व रिकार्ड के अंकन की गलती से उसे खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। वादी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत प्रस्तुत कियेः–

इस विचार बिन्दू का खण्डन प्रतिवादी संख्या एक द्वारा किया जाकर यह बताना चाहिए था कि उसे वाद में वर्णित आराजी कृषि भूमि का आवंटन का आदेश कब हुआ था, और उक्त भूमि किस प्रकार उसके नाम दर्ज हुई किन्तु प्रतिवादी संख्या एक की ओर से कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उसके हक में वाद में वर्णित आराजी भूमि का इन्द्राज संदिग्ध प्रतीत होता है। प्रतिवादी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब से भी यह स्थिति स्पष्ट है कि वाद में वर्णित आराजी भूमि पर वादी अपने पूर्वजों के समय से काबिज है। प्रतिवादी संख्या एक के द्वारा इस बात के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की कि वादी अतिक्रमी हो और उसे धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का नोटिस प्रषित किया गया हो। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा भी अपने आवंटन के पश्चात तुरन्त वादी को अतिक्रमी बताते हुए कोई नोटिस पेश नहीं किया गया है ना ही ऐसा नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से उसके द्वारा उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पूर्व काबिज होने के तथ्यों को बल मिलता है। न्यायालयों के विनम्र मत में प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 25.05.2018 न्यायालय ए डी जे 19 सांगानेर जयपुर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय इसलिए उक्त निर्णय पर न्यायालय द्वारा टिप्पणी किया जाना न्याय संगत नहीं है। उपरोक्तानुसार न्यायालय के विवेचन अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य अखण्डनीय रहे है और वादी के तर्कों को उनसे समर्थन प्राप्त होता है उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि वादी वाद ग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है और इन्द्राज प्रतिवादी संख्या एक काबिले दुरूस्ती है। इस प्रकार उक्त विचार बिन्दू संख्या एक व चार वादी के पक्ष व प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

विचार बिन्दू संख्या 2–

उक्त बिन्दू को साबित करने का भार वादी पर है वादी द्वारा वाद ग्रस्त आराजी कृषि भूमि पर कब्जे के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–1 लगायत पी–6 प्रस्तुत की है। वादी के काबिज काश्त के संबंध में न्यायालय द्वारा बिन्दू संख्या एक व चार में विवेचन किया जा चुका है। और उक्त बिन्दू वादी के पक्ष में निर्णित किया है तथा उक्त बिन्दू भी वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

विचार बिन्दू संख्या 3ः–

उक्त बिन्दू को साबित करने का भार वादी पर है [illegible] उपलब्ध साक्ष्य से वाद ग्रस्त आराजी पर वादी का साबित होना [illegible] सिद्धान्त है कि कब्जा प्रथम दृष्टया स्वामित्व का सबूत है चूंकि बिन्दू संख्या [illegible] व चार को न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से विवेचन कर वादी के पक्ष में निर्णित किया है [illegible] लिए उक्त बिन्दू भी वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरूद्ध तय किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:46:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

अनुतोष–

विवादक संख्या एक, दो, तीन व चार वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया गया है। इसलिये वादी का वाद डिक्री किया जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद इस अनुरूप डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या दो को आदेशित किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 4708 रकबा 0.19 हैक्टेयर वाके ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के संबंध में रिकार्ड व मौके की जॉच करने के उपरान्त यदि नियमानुसार खसरा नम्बर 4708 रकबा 0.19 हैक्टेयर में वादी के कोई अधिकार पाये जाये तो नियमानुसार कार्यवाही कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावें। प्रतिवादी संख्या एक को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त वर्णित खसरा नम्बर पर वादी के कब्जे काश्त व निर्माण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे, वादी व उसके परिवार के उपयोग–उपभोग में कोई बाधा कारित नही करे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....27/10/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (सांगानेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड ... जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:46:21 IST
Reason: SelfAttested